

**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।**

उपस्थित:- अरूण सिंह -----(उ.प्र. न्यायिक सेवा)

वाद संख्या - 355/9/2012

सरकार-----अभियोजन,  
बनाम

(1)- राजपाल पुत्र चमन सिंह, निवासी- ग्राम विराल, थाना-कांधला, जिला-शामली।-----  
-----अभियुक्त

धारा- 332, 353, 504, 506 भा.द.सं.  
मु.अ.सं.- 150/2012  
थाना- कांधला, जिला-शामली।

**निर्णय**

पुलिस थाना कांधला के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 150/2012, अंतर्गत धारा- 332, 353, 504, 506 भा.द.सं. में अभियुक्त राजपाल पुत्र चमन सिंह को तलब कर दण्डित करने के लिए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2012 को 33/11 के०वी० उपकेन्द्र विराल की 33 के०वी० लाईन का तार टूट गया था व उपकेन्द्र में भी कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए प्रार्थी बिजली घर पर पहुँचा समय 2.30 बजे लगभग बिजली घर पर पहले से मौजूद राजपाल पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम विराल के द्वारा प्रार्थी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गन्दी-गन्दी गालियाँ दी गई व जिन्दा जलाने व जान से मारने की कोशिश की गई। प्रार्थी बड़ी मुश्किल से जान बचा कर वहाँ से आया है। उक्त व्यक्ति अभी भी बिजली घर पर बैठा है व एस.डी.ओ. व जे.ई. को जिन्दा जलाने की बातें ग्राम वासियों से कह कर उन्हें भी उकसा रहा है। जिस कारण बिजली घर भी चालू नहीं हो सका है व सरकारी कार्य भी बाधित हो रहा है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई है।

वादी मुकदमा की तहरीर पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान गवाहान के बयान अंकित किये गये तथा घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया गया। बाद विवेचना अभियुक्त राजपाल पुत्र चमन सिंह के विरुद्ध धारा 332, 353, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं। अभियुक्त राजपाल पुत्र चमन सिंह के विरुद्ध धारा 332, 353, 504, 506 भा.द.सं. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त को आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में साक्षी पंकज मलिक को बतौर पी०डब्लू० 1, व अवनीश कुमार को बतौर पी०डब्लू० 2 व परीक्षित कराया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की। तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा उनके तर्कों के आलोक में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परीशीलन किया गया।

**निष्कर्ष**

प्रस्तुत मामले में अभियोजन को साक्ष्य से संदेह से परे इन तथ्यों को साबित करना है कि दिनांक -22.05.2012 को 33/11 के०वी० उपकेन्द्र विराल की 33 के०वी० लाईन का तार टूट गया था व उपकेन्द्र में भी कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए प्रार्थी बिजली घर पर पहुँचा समय 2.30 बजे लगभग बिजली घर पर पहले से मौजूद राजपाल पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम विराल के द्वारा प्रार्थी को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गन्दी-गन्दी गालियाँ दी गई व जिन्दा जलाने व जान से मारने की कोशिश की गई। प्रार्थी बड़ी मुश्किल से जान बचा कर वहाँ से आया है। उक्त व्यक्ति अभी भी बिजली घर पर बैठा है व एस.डी.ओ. व जे.ई. को जिन्दा जलाने की बातें ग्राम वासियों से कह कर उन्हें भी उकसा रहा है। जिस कारण बिजली घर भी चालू नहीं हो सका है व सरकारी कार्य भी बाधित हो रहा है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 1 के रूप में पंकज मलिक को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनांक 22.05.2012 को 33/11 के०वी० उपकेन्द्र

विराल की 33 के०वी० लाईन का तार टूट गया था व उपकेन्द्र में भी कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए प्रार्थी बिजली घर पर पहुंचा समय 2.30 बजे लगभग बिजली घर पर पहले से मौजूद राजपाल पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम विराल के द्वारा मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गन्दी-गन्दी गालियाँ दी गई व जिन्दा जलाने व जान से मारने की धमकी दी थी। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर वहाँ से आया था और मैंने वाके की रिपोर्ट तहरीर अपने लेख हस्ताक्षर में थाना कांधला पर दी और अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा कायम कराया। बिजली चालू नहीं हो रही थी और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई जो रिपोर्ट मैंने लिखकर थाने पर दी थी वह आज पत्रावली पर मेरे सामने है। मे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं शिनाख्त करता हूँ। इस पर प्रदर्शक-1 डाला गया।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने लिये पी०डब्लू० 1. ने अपनी जिरह में कहा है मैं घटना के पहले राजपाल मुल्जिम को नहीं जानता था न ही मेरी राजपाल से पहले से कोई रंजिश थी, और न ही राजपाल मुल्जिम घटना के पहले मेरे कार्यालय व किसी अन्य जगह पर नहीं मिला। जब मैं बिजली घर पर पहुंचा मुल्जिम राजपाल के अलावा अन्य और भी व्यक्ति थे, जिनकी संख्या लगभग 25 के करीब थी अन्य किसी व्यक्ति के मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। बिजली घर का गेट उत्तर दिशा में है। जब मैं बिजली घर के आहाते में ही था। मुझे पता नहीं कि मुल्जिम राजपाल बिजली घर के आहाते में घटना के समय किस दिशा में मौजूद था। बिजली घर पर बिजली विभाग का शायद मुनेश नाम का संविदा कर्मचारी मौजूद था। यह घटना उसके सामने हुई थी तथा घटना के समय मेरे साथ लाईन मैं भी थे जिनके अब नाम मेरे ध्यान नहीं है, क्योंकि घटना बहुत पुरानी हो गई है। मेरे साथ 3-4 लाईन मैं थे जो कर्मचारी मुनेश बिजली घर पर मौजूद था, उसके साथ राजपाल ने कोई दुर्व्यवहार व गाली गलौच नहीं किया और न ही उसके साथ कोई घटना कारित की। कुछ लाईनमैन को मैं बुढ़ाना से साथ लेकर आया था कुछ विराल बिजली घर के लाईन मैं थे। मैंने एफ.आई.आर. में बिजली कर्मचारी मुनेश व लाईन मैं के नाम बगैर गवाह नहीं लिखाये थे। राजपाल ने मेरा बनियान पहने हुआ फाड़ दिया था। किसी हथियार जैसे लाठी-डण्डा, तलवार, चाकू व कट्टे से कोई हमला मुझपर नहीं किया था। मैंने मुल्जिम राजपाल के पास पेट्रोल या मिट्टी के तेल की कैन नहीं दी थी। मेरे गले के नीचे चोट के निशान हो गये थे। मैंने डॉक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल कांधला में कराया था। डॉक्टरी मुआयना मैंने दिन में कराया था। समय ध्यान नहीं है। मुझे यह भी ध्यान नहीं है कि मुआयना मैंने घटना के दिन कराया था या उसके बाद कराया था। डॉक्टरी मुआयना मैंने थाने पर दे दिया होगा। यह मेरे ध्यान नहीं है। फाईल देखकर कहा मैंने डॉक्टरी मुआयना कराया था लेकिन पत्रावली पर नहीं है। मैं इसका जबाव नहीं दे सकता क्यों नहीं है। बिजली घर पर तकनीकी खराबी होने के कारण 33/11 के.वी. लाईन का तार टूट गया था। यह तार उसी दिन सुबह के समय टूटा होगा सही समय मेरी ध्यान नहीं है। टी.पी.एम. एक बिजली काटने का उपकरण होता है। यह लाईन को चालू करने व बन्द करने लिए होता है।

यह कहना गलत है कि बिजली घर का टी.पी.एम. खराब हो। यह कहना भी गलत है कि टी.पी.एम. खराब होने के कारण बार-बार बिजली की सप्लाई कट जाती हो। यह कहना भी गलत है कि टी.पी.एम. बदलने के लिए कहा हो इसके एवज में मैंने गांव वालों में रिश्तत की मांग की हो। यह कहना भी गलत है कि मुझे रिश्तत न देने के कारण मैंने गांव वालों को झूठे मुकदमें में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दी हो। राजपाल मुल्जिम का नाम मुझे हमारे ही विभाग के कर्मचारी ने बताया था। मैंने घटना के दिन ही अपने कर्मचारी से मुल्जिम का नाम पूछा था। मैं यह भी नहीं कह सकता कि जिस समय मुल्जिम का नाम पूछा था कि उस समय मुल्जिम भी घटना स्थल पर मौजूद था या नहीं। जिस कर्मचारी ने मुझे मुल्जिम का नाम बताया था उसका नाम मुनेश था। आज मुनेश मेरे साथ गवाही देने नहीं आया है।

यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिम को वाद हाजा में झूठा फंसाया है। यह कहना भी गलत है कि मुल्जिम राजपाल ने मेरे साथ किसी प्रकार की कोई घटना कारित न की हो।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 2 के रूप में अनीश कुमार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.05.2012 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना कांधला जनपद शामली पर तैनात था उक्त दिनांक को वादी श्री पंकज मलिक प्रभारी अवर अभियंता 33/11 के.वी. उपकेन्द्र विराल थाना कांधला शामली के द्वारा तहरीर देकर मुकदमा लिखाया जिसकी विवेचना मुझे उपनिरीक्षक को मिली थी। प्राप्त विवेचना को ग्रहण कर मैंने निम्न पर्चा किता की थी जो निम्नवत है।

पर्चा नं०-1 मैंने दिनांक 23.02.2012 को किता किया था, जिसमें मैंने नकल चिक तथा नकल रपट बयान वादी तथा निरीक्षण घटना स्थल कर नक्शा नजरी तैयार कर संलग्न किया था तथा मैंने समयी साक्ष्यों के बयान अंकित भी किये थे।

पर्चा नं०-2 में मैंने मौके के चश्मदीद गवाह सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह तथा फारुख पुत्र नफीस अहमद निवासीगण नई बस्ती थाना बलसवा बुढ़ाना जनपद मु०नगर जो उपरोक्त उपकेन्द्र से ही बिजली संबंधित कार्य करते थे के बयान अंकित किये थे जो दिनांक 02.06.2012 को अंकित किये थे।

पर्चा नं०-3 में मैंने मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजपाल पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम विराल थाना कांधला के पूछताछ कर बयान अंकित किए थे तथा उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित किया।

एफ.आई.आर. लेकर मेरे सामने नकल तहरीर एफ.आई.आर. पर लिखी थी जिसका नाम देवेन्द्र सिंह है। मैं उसे जानता हूँ उसने मेरे सामने हस्ताक्षर किये थे। जिस पर प्रदर्शक -2 डाला गया। देवेन्द्र सिंह मेरे साथ तैनात थे। नक्शा नजरी पर प्रदर्शक-3 डाला गया है।

घटना स्थल के उत्तर में सरकारी अस्पताल था तथा उत्तर दक्षिण में रास्ता था फिर कहा घटना स्थल के पूर्व में सरकारी अस्पताल था पश्चिम में रास्ता था उत्तर में पूर्व प्रधान का खेत था। जिसका नाम मुझे याद नहीं है। दक्षिण में घटना स्थल था बिजली उपकेन्द्र के दक्षिण में क्या था मुझे याद नहीं। घटनास्थल पर नक्शा नजरी बनाने के लिए मैं किसके साथ गया था अब मुझे याद नहीं है। मैंने इस मुकदमे में बयान वादी का बयान लिया था तथा दिनांक 23.05.2012 चश्मदीद गवाहों में मैंने फारुख पुत्र निसार तथा एक चमन का लड़का था। जिसका नाम मुझे याद नहीं फिर कहा दूसरे गवाह का नाम मुझे याद नहीं।

वादी मुकदमा में मुझे चश्मदीद गवाह के रूप में मुनेश का नाम लिखाया था या नहीं मुझे यह अब याद नहीं। चिट लेखक देवेन्द्र सिंह ने लिखी थी जो कि मेरे साथ उस समय थाने पर तैनात थे। किसी चश्मदीद गवाह ने मुझे घटना के समय मुल्जिम के हाथ में लाठी-डण्डा, तलवार, चाकू व कट्टा होना नहीं बताया। मुझे तफसीस है किसी गवाह ने ये नहीं बताया था कि घटना के समय मुल्जिम के पास पेट्रोल व मिट्टी के तेल की कैन हो। यह कहना गलत है कि मैंने उपरोक्त केस की विवेचना थाने पर बैठकर फर्जी की है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये धारा 311 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया कि चश्मदीद गवाह मो० फारुख व स्वतंत्र गवाह सुरेन्द्र सिंह के बयान केस डायरी में अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये हैं, परन्तु गवाहों की सूची में उपरोक्त गवाहों के नाम अंकित नहीं हैं। अतः मो० फारुख व सुरेन्द्र सिंह को न्यायहित में तलब करने की याचना की गयी। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र उपरोक्त स्वीकार किया गया। पी० डब्लू० 3 के रूप में सुरेन्द्र सिंह पुत्र महावीर सिंह, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना करीब आठ नौ वर्ष पहले की है। समय करीब चार बजे लाईन का काम करने के बाद हम बिजलीघर पहुंचे थे, वहां पर मौजूद अधिकारी एवं कर्मचारीगण (प्राईवेट) से मुझे पता चला कि जे.ई. साहब के साथ गांव वालों के साथ कहासुनी हो गयी थी। हाजिर अदालत मुल्जिम राजपाल को देखकर गवाह ने कहा कि घटना के समय ये मौजूद नहीं था और न ही मैं मौजूद था। मेरे सामने कोई घटना कारित नहीं हुयी है। इस स्तर पर गवाह को पक्षद्रोही किया जाता है एवं जिरह की अनुमति दी जाती है।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने लिये डी०डब्लू० 1. ने अपनी जिरह में कहा है कि मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया था। बिरार के 33 KVA के लाईन को ठीक करने गया हुआ था। मैं व मेरे साथ फारुख व अन्य गांव वाले थे। उस वक्त जे.ई. साहब बिजलीघर में थे। जे.ई. साहब हमें जहाँ लाईन टूटी था वहां छोड़कर वापस बिजलीघर चले गये। लाईन ठीक करने में हमें तीन चार घंटे लगे थे। जे.ई. साहब दुबारा हमारे पास लौटकर वापस नहीं आये। काम हो जाने के बाद हम लोग छोटे बिजलीघर बिराल गये उसके बाद 132KV जोला जाकर सूचना दी। जे.ई. साहब का इससे पहले कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था। 132KV पर मात्र दो लोग उपलब्ध रहते हैं। जे.ई. साहब 220KV कण्डेला में बैठते हैं। यह कहना गलत है कि अभियुक्त को बचाने के लिए कोर्ट को सही बात न बता रहा हूँ।

मेरे सामने हाजिर अदालत मुल्जिम ने जे.ई. साहब को कोई मारपीट नहीं किया न ही ड्यूटी से रोकने के लिए कोई हमला किया न जान से मारने की धमकी दी और न ही गाली-गलौज की।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये डी० डब्लू० 3 के रूप में गौरव कुमार पुत्र दिनेश सिंह, को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि हमारे गांव की बिजली लाईन की TPM खराब थी जिसके कारण बिजली की सप्लाई बार बार टूट जाती थी। दिनांक 22.05.2012 को समय करीब ढाई बजे दिन में मैं और मेरे साथ आठ दस व्यक्ति गांव के बिजली घर बिराल पर जे.ई. पंकज मलिक से मिलने के लिये पहुंचे और उनसे बिजली लाईन सही कराने के लिये कहा। तो जे.ई. साहब ने TPM सही कराने के लिये दस हजार रुपये गांव वालों से सुविधा शुल्क के रूप में मांगे। गांव वालों ने सुविधाशुल्क देने से मना कर दिया तब जे.ई. साहब ने हम लोगों को धमकी दी कि यदि सुविधाशुल्क नहीं दिया तो गांव वालों को झूठे मुकदमे में फंसवाकर जेल भेजवा दूंगा और बिजली लाईन भी सही नहीं करावाऊंगा। हमारे साथ मुल्जिम राजपाल पुत्र चमनसिंह नहीं था। दिनांक 22.05.2012 को समय करीब दिन में ढाई बजे मुल्जिम राजपाल ने जे.ई. साहब के साथ कोई मारपीट नहीं किया न ही जे.ई. साहब पर कोई किसी प्रकार का हमला किया और न ही उनका बनियान फाड़ा और न ही किसी प्रकार की कोई धमकी दी और न ही गाली गलौज की। जे.ई. साहब ने गांव की पार्टी बाजी के कारण दूसरे पक्ष के लोगों के कहने पर राजपाल के विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कराया है। बाद को एस.डी.ओ. साहब से मिलने पर एस.डी.ओ. साहब ने गांव की लाईन सही करा दी थी।

राजपाल को मैं जानता हूँ। राजपाल मेरे घर से करीब बीस घर छोड़कर रहता है। एफआईआर 22.05.2012 की है। जे.ई. साहब से मिलने हम आठ दस लोग गये थे। हमारे गांव के तैंतीस हजार वोल्ट के लाईन के टीपीएम खराब थे, उसे ठीक कराने के लिये हम जे.ई. साहब के पास गये थे। हम सभी जे.ई. साहब के पास गये थे, जे.ई. साहब ने हमसे दस हजार रुपये सुविधा शुल्क मांगा। हम आठ दसों लोगों से जे.ई. साहब ने कहा कि तुम लोग दस हजार की व्यवस्था करो फिर लाईट ठीक करायेंगे नहीं तो नहीं करायेंगे। उसके बाद अगले दिन गांव के अन्य लोग एस.डी.ओ. साहब के पास गये थे। अगले दिन लाईट ठीक हो गयी। बिना सुविधा शुल्क दिये ही हमारी लाईट ठीक हो गयी थी। जे.ई. साहब आये हुये थे इसलिये हम पहले उनके पास गये थे। जे.ई. साहब से हम लोगों की करीब दस पांच मिनट बातें हुयी। जे.ई. साहब से पहले बातें हुयी उसके कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि गांव वालों से पैसे इकट्ठा कर लो तब तुम्हारे गांव की बिजली ठीक होगी। आज न्यायालय में अपनी मर्जी से आया हूँ। मैं अपनी बाईक से आज न्यायालय आया हूँ। बिजलीघर पर जे.ई. साहब के साथ एक प्राईवेट ठेकेदार था। जब हम बिजलीघर गये थे राजपाल कहाँ था इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। जे.ई. साहब की राजपाल से कभी कोई कहा-सुनी नहीं हुयी थी। जे.ई. साहब दो तीन साल से उस बिजलीघर में काम कर रहे हैं। जे.ई. साहब का राजपाल से इन दो तीन सालों में कभी कोई कहा-सुनी नहीं हुयी थी। राजपाल की बिजलीघर के कर्मचारी से कभी कोई कहा-सुनी नहीं हुयी थी। उस समय हमारे गांव का प्रधान सलेकचन्द था। हम दस लोग जे.ई. साहब से जब मिलने गये थे उस वक्त जे.ई. साहब को हम में से किसी का नाम मालूम नहीं था। दिनांक 22.05.2012 को पहली बार टीपीएम खराब हुआ था, जिस कारण बिजली की सप्लाई नहीं आ रही थी। हमने लिखित कोई शिकायत जे.ई. साहब को नहीं दी थी। गांव वाले घटना के अगले दिन एस.डी.ओ. साहब से कहॉ मिले मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस वक्त का एस.डी.ओ. कौन था इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। बिजली अगले दिन ठीक हो गयी थी। बिजली विभाग के कर्मचारी बिजली ठीक कर चले गये थे, मुझे नहीं जानकारी कि बिजली विभाग से कौन कौन आया था। जब बिजली ठीक हुयी थी मैं अपने घर पर ही था। राजपाल का कभी किसी व्यक्ति से गांव में झगड़ा नहीं हुआ था। यह

कहना गलत है कि राजपाल को बचाने के लिए कोर्ट को सही बात न बता रहा हूँ। यह बयान मैं अपनी मर्जी से बिना किसी लालच या दबाव के दे रहा हूँ।

उपरोक्त सभी अभियोजन पक्ष के गवाहान तथा बचाव पक्ष के गवाह की गवाही और जिरह को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय को देखना है कि:-

क्या अभियुक्त राजपाल दिनांक 22.05.2012 को उपकेन्द्र बराल पर उपस्थित था ?

इस प्रश्न का उत्तर पी०डब्लू०-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में जिक्र किया है कि अभियुक्त राजपाल दिनांक 22.05.2012 को 33/11 के०वी० उपकेन्द्र विराल पर मौजूद था। पक्षद्रोही पी०डब्लू०-3 ने खुद को घटना पर होना अस्वीकार किया है तथा अपने सामने किसी भी घटना का न होना स्वीकार किया है। अतः उसकी गवाही व जिरह गैर-वाजिब है। अभियुक्त द्वारा भी किसी भी साक्ष्य द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि वह घटना के समय किसी और जगह पर मौजूद था। उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों से साबित होता है कि राजपाल घटना के समय उपकेन्द्र बराल में ही मौजूद था।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त राजपाल द्वारा जे.ई. पंकज मलिक को उसके सरकारी काम में बाधा पहुँचाने हेतु हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है?

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353 में दिये गये हमला और आपराधिक बल की परिभाषा धारा 349, 350 और 351 द०प्र०सं० में दी गई है।

धारा 349 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता या यदि वह अन्य व्यक्ति के गति, गति परिवर्तन या गतिहीनता देता है।

धारा 350 के अनुसार, जो कोई भी किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को, जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है, क्षति भय या क्षोभ ऐसे बल के प्रयोग से कारित करने से, या बल का प्रयोग से संभाव्यतः कारित करेगा, यह जानते हुए साशय करता है। वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है कहा जाता है।

धारा 351 के अनुसार जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि ऐसे अंगविक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जायेगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है यह कहा जाता है।

उपरोक्त वर्णित तीनों धाराओं के सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अपराधिक बल (गतिपरिवर्तन या गतिहीनता) प्रयोग कर क्षति, भय या क्षोभ कारित करता है या मारपीट करता है या काम करने में रुकावट पैदा करता है या ऐसी स्थिति पैदा करता है कि जिससे यह आशंका होती हो कि आपराधिक बल का प्रयोग होने वाला है तो यह धारा 353 भा.द.सं. की श्रेणी में आता है तथा अगर सरकारी कर्मचारी के साथ आपराधिक बल का प्रयोग मारपीट हेतु प्रयोग किया जाता है तो 332 भा.द.सं. में वर्णित अपराध की श्रेणी में आता है।

प्रस्तुत प्रकरण में सम्यक परीशीलन से स्पष्ट है कि वादी पंकज मलिक, पी०डब्लू० 1 ने अपने बयान में कहा है कि उसकी अभियुक्त की पूर्व में कोई रंजिश नहीं थी। घटना स्थल पर वादी और अभियुक्त राजपाल का होना भी साबित है। जब पूर्व में दोनों पक्षों की रंजिश नहीं थी तो वादी से मारपीट होने का हेतु (Motive) बिजली को समय पर ठीक न करना, स्पष्ट होता है तथा वादी के द्वारा अभियुक्त राजपाल के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाना घटना पश्चात का आचरण स्पष्ट करता है। वादी पी०डब्लू०-1 द्वारा अपने बयान/जिरह में स्वीकार किया है कि अभियुक्त राजपाल द्वारा उसका बनियान फाड़ दिया था तथा गंदी-गंदी गालियां तथा जान से मारने की धमकी दी थी।

प्रस्तुत प्रकरण में केवल एक ही गवाह द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अभियुक्त राजपाल द्वारा वादी गवाह के साथ गाली-गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी दी गई। बाकी अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही अस्पष्ट प्रतीत होती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अवतार सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 SC 286**, द्वारा प्रतिपादित किया गया कि-

In order to prove the guilt of the accused, the prosecution should take earnest effort to place the material evidence both oral and documentary which satisfactorily and truthfully demonstrate and fully support the case of the prosecution. Where there were several persons stated to have witnessed the incident and the prosecution examined those witnesses who were able to depose the nature of offence committed more accurately leaving no room for doubt about the involvement of the accused in the occurrence and the extent of their involvement with specific overt act and also were able to withstand the cross-examination by maintaining the sequence and the part played as originally stated, it will be wholly irrelevant and unnecessary to multiply the number of witnesses to repeat the same version.

इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा यह अपराध किया जाना संदेह से परे साबित होता है। अभियुक्त राजपाल द्वारा वादी

पंकज मलिक के साथ मारपीट, धक्का-मुक्की, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी तथा वादी के सरकारी कार्य करने से रोकना कारित किया है।

अतः अभियुक्त राजपाल को भा.द.सं. की धारा 353, 332, 504, 506, के अपराध के लिए दोष-सिद्ध किये जाने का आधार पर्याप्त है।

अभियुक्त राजपाल को भा.द.सं. की धारा 353, 332, 504, 506, के अपराध के लिए दोष-सिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के लिए पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(अरुण सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

दिनांक- 24.01.2022

पत्रावली लंच बाद पेश हुयी। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन को सुना।

अभियोजन के द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की गयी है। अतः अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त राजपाल 60 वर्ष का वृद्ध है और बीमार है तथा अपने घर का अकेला भरण-पोषण करने वाला है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अभियुक्त ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित की है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायालय उचित नहीं पाता। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त राजपाल को भा०द०सं० की धारा 332 के अपराध के लिये एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 353 भा०द०सं० के अपराध के लिये एक वर्ष के कठोर कारावास तथा भा०द०सं० की धारा 504 के लिये छः महीने के कठोर कारावास तथा भा०द०सं० की धारा 506 के लिए छः महीने के कठोर कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

दण्डादेश,

अभियुक्त राजपाल को भा०द०सं० की धारा 332 के अपराध के लिये एक वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त राजपाल को भा०द०सं० की धारा 353 के लिये एक वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त राजपाल को भा०द०सं० की धारा 504 के लिये छः महीने के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त राजपाल को भा०द०सं० की धारा 506 के लिए छः महीने के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

सभी सजायें एक साथ चलेगी। जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार मु०नगर भेजा जाये।

इस निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(अरुण सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

दिनांक- 24.01.2022

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरुण सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली।

दिनांक- 24.01.2022